महत्वपूर्ण

पत्र संख्या-बी-1-5-बजट/ 2019-2020 / 604 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(बजट अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :20 ,जुलाई, 2019

समस्त आहरण वितरण अधिकारी

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कतिपय जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा मुख्यालय से बजट की मॉग निर्धारित प्रारूप पर नही की जा रही है और न ही औचित्य का उल्लेख ही किया जा रहा है, जिसके कारण बजट आवंटन के समय भ्रामक स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

अतएव निर्देश दिये जाते हैं कि मुख्यालय से **बजट की मॉग** सिर्फ निर्धारित निम्न प्रारूप पर ही **औचित्य के उल्लेख सहित** *(यदि बकाया हो तो लम्बित बिलों की सूची जिसमें फर्म का नाम, बिल सं0, तिथि एवं धनराशि अंकित की जाय)* किया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में बजट मॉग पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।

प्रारूप-2

मानक मद	वित्तीय वर्ष 2017-2018 का कुल वास्तविक व्यय	वित्तीय वर्ष 2018-2019 का कुल वास्तविक व्यय	वित्तीय वर्ष 2019-2020 में अब तक आवंटित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2019-2020 में अब तक का व्यय	अवशेष (4-5)	अवशेष अवधि का अनुमानित व्यय	वित्तीय वर्ष 2019-2020 का कुल अनुमानित व्यय (5+7)	इस वर्ष के लिये अतिरि त मॉग की धनराशि (8-4)	औचित्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर(लेखा) वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।